न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–16 / 2019

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–29.03.2019

निर्णय दिनांकः–12.07.2019

उनवान

किशनलाल उर्फ रामसहाय पुत्र मडा जाति मीना निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) **प्रार्थी**

बनाम

1.तहसीलदार पीपलू , जिला टोंक (राज.)

2.हनुमान पुत्र मडा जाति मीना निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

3.शिवपाल पुत्र मडा जाति मीना निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

4.श्योप्यारी पुत्री मडा जाति मीना निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

प्रतिवादीगण–अनुपस्थित निर्णय दिनांक–12.07.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम किशनलाल हैं और उसका घरेलू बचपन का नाम रामसहाय हैं। भूमि आराजी खसरा न0 18 , 23, 24, 43, 142, 236, 450, 728, 738, 17, 19, 272, 274, 736, 223 / 1, 223 / 2, 22 वाकै ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी के पिता मडा उर्फ मड्या की मृत्यु उपरान्त विरासत का अमल करते समय घरेलू बचपन का नाम रामसहाय दर्ज कर दिया हैं इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में रामसहाय के साथ उर्फ किशनलाल अंकित किये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने रिकॉर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी खसरा न0 18 , 23, 24, 43, 142, 236, 450, 728, 738, 17, 19, 272, 274, 736, 223/1, 223/2, 22 वाकै ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू के राजस्व रिकॉर्ड में रामसहाय उर्फ किशनलाल अंकित करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू